संख्या-19/2022/425/58-2022-300/2016

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 मार्च 2022**

विषयः राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप मं विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1105.73 लाख के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु अवशेष धनराशि रू0 425.14 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 140.38 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-638/आर0के0वी0वाई0/एच0ई0टी0सी0/सहारनपुर/2021-22, दिनांक 10.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस.एल.एस.सी. से अनुमोदित औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स फाॅर फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप मंे विकसित किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 1105.73 लाख के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 हेतु अवशेष धनराशि रू0 425.14 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 140.38 लाख कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-2158/12-3-2022, दिनांक 08.03.2022 तथा शासनादेश सं0-2159/12-3-2022, दिनांक 08.03.2022 द्वारा निम्न तालिका में उल्लिखित अनुदान संख्या/लेखाशीर्ष/मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, उद्यान के निवर्तन पर रखी गयी हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक	मानक मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सहारनपुर को सेन्टर आफ एक्सीलेंस फार फ्रूट एण्ड वेजिटेबिल के रूप में विकसित किये जाने की परियोजना	अनुदान सं0-11, लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के+रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूँजीगत योजनायें-(के060/रा040-के+रा0)	24 वृहद निर्माण कार्य	67.20	67.20
		26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	15.06	15.06
		योग	82.26	82.26

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के+रा0) 0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूँजीगत योजनायें-(के.60/रा.40-के.+रा.)	24 वृहद निर्माण कार्य	58.12	58.12
		योग-	58.12	58.12
		कुल योग-	140.38	140.38

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्य हेतु तालिका के अनुसार कुल स्वीकृत धनराशि रू0-140.38 लाख की केवल प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-2158/12-3-2022, दिनांक 08.03.2022 तथा शासनादेश सं0-2159/12-3-2022, दिनांक 08.03.2022 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

संख्या- 19/2022/425(1)/58-2022 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in